



भारत सरकार / Government of India

सरकारी राजपत्र OFFICIAL GAZETTE

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND
DAMAN AND DIU

श्रेणी - १
SERIES - I

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित / PUBLISHED BY AUTHORITY

Daman 10th November, 2023 19 Kartika, 1945 (Saka) No. : 04

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
वन विभाग
विद्युत भवन, कचीगाम दमण

देश भर में लकड़ी और अन्य वन उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में ऑनलाइन राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (NTPS) का क्रियान्वयन - दादरा एवं नगर हवेली वन नियमावली, 1966 के नियम (2) और गोवा, दमण एवं दीव वन नियमावली, 1964 के नियम (2) में संशोधन।

अधिसूचना

भारत वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) की धारा 26, 32, 41, 42, 51 और 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियां और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली वन नियमावली 1966 और गोवा, दमण एवं दीव वन नियमावली 1964 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

नियम

- नाम एवं प्रारंभ :-
 - इन नियमों को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव वन (संशोधित) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
 - सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से ये नियम प्रभावी होंगे।
- नियम 2 का संशोधन - दादरा एवं नगर हवेली वन नियमावली, 1966 (बाद में उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 2 में,
 - खंड (डी) के बाद, निम्नलिखित प्रविष्ट किया जाएगा अर्थात्: -

"ई) "पास" का आशय इन नियमों के तहत जारी किया गया पास है और इसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) पोर्टल के माध्यम से जारी ट्रांजिट पास / अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल होगा"

- नियम 2 का संशोधन - गोवा, दमण एवं दीव वन नियमावली, 1964 (बाद में उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 2 में,

(1) खंड (डी) के बाद, निम्नलिखित प्रविष्ट किया जाएगा अर्थात्: -

"ई" "पास" का आशय इन नियमों के तहत जारी किया गया पास है और इसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) पोर्टल के माध्यम से जारी ट्रांजिट पास / अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल होगा"

ह/-
मनोज पाण्डेय
उप सचिव (ई&एफ)
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI
AND DAMAN, DIU
DEPARTMENT OF FOREST,
VIDYUT BHAVAN, KACHIGAM DAMAN

No.9-6/117/FD/2022/2522

Dated: 18/10/23

IMPLEMENTATION OF ONLINE NATIONAL TRANSIT PASS SYSTEM (NTPS) | THE UNION TERRITORY OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU FOR SEAMLESS MOVEMENT OF TIMBER AND OTHER FOREST PRODUCE ACROSS THE COUNTRY - AMENDMENTS TO THE RULE (2) OF THE DADRA & NAGAR HAVELI FOREST RULES, 1966 AND THE RULE (2) OF THE GOA, DAMAN AND DIU FOREST RULES, 1964.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sections 26,32,41,42,51 and 76 of the India Forest Act, 1927 (XVI of 1927) and of all other powers enabling him in this behalf, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to make the following rules, to amend the Dadra & Nagar Haveli Forest Rules, 1966 and the Goa, Daman and Diu forest rules, 1964, namely: -

RULES

1. Title and Commencement. -

(1) These rules may be called Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Forest (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2 Amendment of Rule 2. - In the Dadra & Nagar Haveli Forest Rules, 1966 (hereinafter referred to as the said rules) in Rule 2,

(1) After clause (d), the following shall be inserted namely, -

"e) "Pass" means the pass issued under these rules and shall include the transit pass/no objection certificate generated through National Transit Pass System (NTPS) portal of Government of India"

3. Amendment of Rule 2. - In the Goa, Daman and Diu Forest Rules, 1964 (hereinafter referred to as the said rules) in Rule 2,

(1) After clause (d), the following shall be inserted namely, -

"e) **"Pass"** means the pass issued under these rules and shall include the transit pass/no objection certificate generated through National Trans]. Pass System (NTPS) portal of Government of India"

Sd/-
Deputy Secretary (E&F)
Dadra & Nagar Haveli and
Daman & Diu
